# राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर

## निगम की बसों के माध्यम से लघु पार्सल सेवा संचालन हेतुः

क्रमांकः–एफ167–II/मु0/प्रशा./वि.के./2019/58 दिनांक 28.01.19

### ई–टेण्डरिंग निविदा सूचना संख्या 5/2018–19

निगम वाहनो की छतों पर लगे हुए लगेज कैरियर के आधे भाग (50 प्रतिशत) पर घरेलु सामान, लघु पार्सल एवं सामान्य वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित रूप में संभावित न्यूनतम समय पर परिवहन हेतु सोल लाईसेंसी नियुक्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में ई–टेन्डरिगं प्रकिया द्वारा ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबधित विवरण वेबसाईट www.rsrtc.rajasthan.gov.in , http://eproc.rajasthan.gov.in एंवम् स्टेट पोर्टल (sppp) पर देखें ।

इस निविदा संबंधित विवरण निम्नानुसार हैः–

| कम सं. | निविदा संबंधित विवरण | दिनांक एवं समय |
|---|---|---|
| 1 | निविदा सूचना जारी होने की तिथि | 29.01.19 |
| 2. | निविदा प्रपत्र शुल्क (F A. R.S.R.T.C Jaipur को देय) | 400/– |
| 3 | धरोहर राशि (FA. R.S.R.T.C Jaipur को देय) | 20,00,000/– |
| 4. | निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (M.D. RISL Jaipur को देय) | 1,000/– |
| 5. | निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/ डाउनलोड करने की अवधि | 30.01.19 से 18.02.19 समयः प्रातः 11:00 बजे तक |
| 6. | तकनीकी निविदा प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय | 18.02.19 समय 15:30 बजे |

नोटः–

1. निविदा की समस्त प्रकिया ऑनलाईन होगी।
2. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश कोई अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी सगय निविदाएं खोली जाएंगी।
3. निविदा दाता निगम की वाहनो की छतों पर लगे हुए लगेज कैरियर के आधे भाग (50 प्रतिशत) पर घरेलु सामान, लघु पार्सल एवं सामान्य वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित रूप में संभावित न्यूनतम समय पर परिवहन हेतु सोल लाईसेंसी नियुक्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में ई–टेन्डरिगं प्रकिया द्वारा ऑन लाईन निविदा प्रस्तुत करेगा।
4. निविदा प्रपत्रों में निविदा कर्ता के लिए सूचना एवं निविदा कर्ता की पात्रता आदि की शर्तें वैबसाईट पर उपलब्ध है।
5. निविदा प्रपत्र में डाउनलोड/आवेदन करते रामय निविदा शुल्क 400 रूपये एवं धरोहर राशि 20,00,000/– रू. की डी.डी. संख्या दिनांक एवं बैंक का नाम व ब्रांच का विवरण अंकित करे।

6. निविदा दाता द्वारा निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क/धरोहर राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट इस कार्यालय में दिनांक 18.2.19 को 15.00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है।

7. कोई भी टैण्डर ईलेक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारणवश लेट होता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

8. निविदाओं मे भाग लेने वाले निविदा दाताओं को ईन्टरनेट साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजीटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत् प्राप्त करना होगा जो ईलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदा दाता उपरोक्त डिजीटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए.(C.C.A.) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदा दाताओं के पास वैद्य डिजीटल सर्टिफिकेट है, उनको नया डिजीटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

9. निविदा दाता द्वारा निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि वित्तीय सलाहकार (R.S.R.T.C.) को डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी। तथा टैण्डर प्रोसेसिंग शुल्क एम.डी. आर.आई. एस.एल. के नाम डी.डी. देय होगी यदि निविदादाता द्वारा दिनांक 18.2.19 को 15.00 बजे तक उक्त डी.डी प्रस्तुत नहीं की जाती है तो प्रस्ताव मान्य नहीं होगा।

10. निविदा दाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में उपरोक्त वैबसाईट पर डीजीटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसके प्रस्ताव डीजीटल साईन के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाऐंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

11. इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदा दाता यह सुनिश्चित कर लेवें की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।

12. ऑनलाईन निविदाएं निर्धारित दिनांक एंव समय पर खोली जावेगी।

13. टैण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करावें।

14. तकनीकी एंव वित्तीय निविदायें अलग–अलग खोली जायेगीं इसलिए दोनों निविदायें अलग अलग ऑन लाईन भरी जायेगीं एंवम् उस पर स्पष्ट रूप से तकनीकी/वित्तीय निविदा ( जैसी भी स्थिति हो ) अंकित हो। तकनीकी रूप में योग्य पाये गये निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदायें खोली जायेगीं अन्य निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

25/1/19

## उपरोक्त कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत करने हेतु निम्न आवश्यक शर्तें है :–

1 निविदा के साथ धरोहर राशि 20,00,000(रूपये बीस लाख रूपये) मात्र की डी.डी. /बैंकर्स चैक के रूप में वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नाम से संलग्न करनी होगी यह राशि जमा नहीं होने की दशा में निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी । यह राशि प्राप्त निविदाओं पर अंतिम निर्णय होने तक निगम कोष में जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

2 पार्सल सेवा योजना अधिकृत सोल लाईसेंसी के माध्यम से संचालित की जायेगी ।

3 पार्सलसेवा योजना निगम के सभी बस स्टैण्डों से सभी बस स्टैण्डों तक लागू होगी। योजना के अन्तर्गत पार्सल निगम द्वारा संचालित समस्त राज्य के मार्गों एंवम् अन्तर्राज्यीय मार्गों पर बस सेवाओं से परिवहन किये जा सकेगें।

4 अधिकृत सोल लाईसेंसी को प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर सुरक्षा राशि के रूप में तीन माह की लाईसेंस फीस के बराबर राशि डी.डी/बैंकर्स चैक के रूप मेंजमा करवानी होगी एंव निगम द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित करना होगा । यह राशि धरोहर राशि रूपये 20,00,000/–(अक्षरे बीस लाख रूपये मात्र ) के अतिरिक्त होगी तथा ये दोनों राशियां निगम कोष में जमा रहेगी । जो अनुबन्ध की शर्तों की समुचित पालना के पश्चात एव अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर बिना ब्याज के लौटाई जावेगी यदि निविदादाता प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस में अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं करता है एंव निर्धारित सुरक्षा राशि जमा नहीं कराता है तो उसके द्वारा जमा करवाई गयी धरोहर राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी । निविदा दाता द्वारा सुरक्षा राशि, बैंक गारंटी एवं हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र निगम में प्रस्तुत करने के बाद ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।

5 अनुबन्ध 03 वर्ष की अवधि के लिये होगा एवं प्रथम वर्ष के व्यतीत होते ही द्वितीय वर्ष के लिए प्रथम वर्ष के लाईसेंस शुल्क की राशि पर लाईसेंसी को 10 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि कर निर्धारित समय पर जमा करानी होगी। इसके बाद आगामी वर्ष के लिए इस द्वितिय वर्ष के पश्चात् हुयी वृद्धि में लाईसेंसी द्वारा स्वतः ही 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि कर निर्धारित समय पर लाईसेंसी को शुल्क जमा कराना होगा।सेवाकर नियमानुसार अलग से देय है।

6. अनुबंध की अवधि समाप्त होने के पश्चात् एवं दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद /न्यायायिक एवं विज्ञापन शुल्क, लाईसेंस शुल्क बकाया न होने की स्थिति में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अनुबन्ध के अनुसार लाईसेंस शुल्क में न्यूनतम 20% (बीस प्रतिशत) की वृद्धि करते हुए 18 माह (डेढ वर्ष) के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है। जिसके लिए निर्णय लेने हेतु निगम स्वतंत्र होगा।

7 इस योजना के अन्तर्गत पार्सल बुक करने से लेकर निगम के निर्धारित वाहनों में गन्तव्य तक पार्सल पहुंचाने का समस्त दायित्व अधिकृत सोल लाईसेंसी का होगा। सोल लाईसेंसी पार्सलों की बुकिगं ''एट ओनर रिस्क''

पर ही बुक करेगा। यदि किसी भी प्राकृतिक आपदा,आगजनी ,तोडफोड ,लूटपाट ,कफ्र्यू हडताल ,बस दुर्घटना एंव अन्य कारणों से पार्सल क्षतिग्रस्त हो जाता है या गुम हो जाता है तो निगम जिम्मेदार नहीं होगा । अर्थात निगम किसी प्रकार के जोखिम, दावा या क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और न ही किसी विधिक विवाद हेतु जवाबदार होगा । किसी भी प्रकार के कर एंव चुंगी आदि के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अधिकृत लाईसेंसी की होगी ।पार्सलों के टूट फूट ,चोरी एंव गुम आदि से होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में यदि लाईसेंसी चाहे तो स्वयं के खर्चे से बीमा करवा सकता है । यदि लाईसेंसी बीमा नहीं करवाता है तो समस्त क्षति के लिये लाईसेंसधारी स्वयं जिम्मेदार होगा ।

8 पार्सलों के रखने हेतु निगम बसों की छत का 50 प्रतिशत तक स्थान पार्सल रखे जाने हेतु आरक्षित रहेगा तथा शेष 50 प्रतिशत स्थान निगम के यात्रियों का सामान रखने हेतु रहेगा तथा एक समय में एक बस में कुल 500किलोग्राम से अधिक वजन के पार्सल स्वीकार नहीं किये जावेगें तथा वही पार्सल स्वीकार योग्य होगें, जिनका नाप प्रति पार्सल 36X 20 X 20 (घन इंच) एंव वजन सुविधाजनक होगा सुविधा वाहनों की छत पर केरियर नहीं होने के कारण सुविधा वाहनों की डिक्की में 50 किलो वजन तक के केवल छोटे पार्सल /डाक परिवहन की जा सकेगी। लाईसेंसी को बसों के अन्दर लघु पार्सल/व्यापारिक/घरेलू सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी ।जिन ब्लू लाईन बसों पर लगेज केरियर नहीं है उनमें डिक्की के 50 प्रतिशत स्थान में पार्सल रखे जा सकेगें। एंव जिन बसों में लगेज केरियर नहीं है तथा दो डिक्की है उनमें से एक डिक्की पार्सल परिवहन हेतु आरक्षित रखी जा सकेगी।

9. सरकार द्वारा नियंत्रित /प्रतिबंधित वस्तुओं जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, मादक पदार्थ , तरल पदार्थ एंव अति ज्वलनशील पदार्थ आदि के पार्सल परिवहन नहीं किये जा सकेगें ।

10. सोल लाईसेंसी द्वारा पार्सल भेजे जाते समय यह भी प्रमाण पत्र देना होगा कि पार्सल के अन्दर कोई ज्वलनशील पदार्थ एंवम् अवैधानिक व आपत्तिजनक वस्तुएं पार्सल में नहीं है । इस प्रकार की कोई घोषणा असत्य पाये जाने एंव वैधानिक कार्यवाही होने पर ऐजेन्सी ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी ।

11. पार्सलों की बुकिगं,वितरण,बसों में पार्सलों की चढाई,उतराई आदि का समस्त कार्य सोल लाईसेंसी के द्वारा ही किया जायेगा तथा इस पर होने वाले समस्त खर्चे का वहन भी उनके द्वारा ही किया जायेगा ।

12. ट्रेवल ऐजेंसीज जो कि यात्री परिवहन का कार्य करती है उन ऐजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं है ।

13. पार्सल के रखरखाव के लिए निगम अपने स्वामित्व के बस स्टैण्डोंपर अधिकृत सोल लाईसेंसी को खुला स्थल (ओपन स्पेस) का स्थान निगम परिसर में प्राथमिकता के आधार पर आवंटित करेगा । खुले स्थल पर लाईसेंसी को पार्सल आफिस का शेड(टीन/फायबर शीट) स्वयं के खर्चे से बनाना होगा । खुला स्थान (ओपन स्पेस) की दर जयपुर हेतु 50 रूपये प्रति स्क्वे, फुट जिला स्तर के बस स्टैण्डों पर 30 रूपये प्रति स्क्वे, फुट एंव अन्य बस स्टैण्डों पर 20 रूपये प्रति स्क्वे फुट प्रतिमाह के अनुसार आगार कमेटी खुले स्थल का आवंटन करेगी । नियमानुसार नया विधुत मीटर /सर्विस मीटर लगाने के बाद विधुत खर्च अतिरिक्त देय होगा, स्थल की लाईसेंस फीस एंव बिजलीच उपभोग की राशि संबधित मुख्य प्रबन्धक कार्यालय में अधिकृत सोल लाईसेंसी द्वारा प्रतिमाह जमा कराई जावेगी ।

14. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम स्वामित्व के बस स्टैण्ड पर पार्सल आफिस के लिए खुले स्थल (ओपन स्पेस) की जगह दी जावेगी तथा जहां पर निगम के स्वामित्व के बस स्टैण्ड नहीं हैं वहा पर अधिकृत सोल लाईसेंसी को जगह दिलवाने के लिए निगम मदद करेगा । लेकिन वहां का लोकल कर/लाईसेंस फीस लाईसेंसी को भरनी होगी निगम बस स्टैण्डों की सूची निविदा प्रपत्र के साथ है ।

15. अधिकृत ऐजेन्ट द्वारा संबधित चालक/परिचालक को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 रूपये प्रति चालान दिया जायेगा जो कि मासिक लाईसेंस फीस के अतिरिक्त होगी लेकिन इस आधार पर अधिकृत ऐजेन्ट उपभोक्ता की परिभाषा में नही आयेगा।

16 अधिकृत सोल लाईसेंसी भेजे जाने वाले सामान का चालान तीन प्रतियो में तैयार करेगा । जिसकी एक प्रति चालक/परिचालक को दी जाकर हस्ताक्षर प्राप्त करेगा लेकिन चालक/परिचालक के हस्ताक्षर के आधार पर पार्सल प्राकृतिक आपदा ,आगजनी ,तोडफोड ,मारपीट, कर्फ्यू हडताल ,बस दुर्घटना एंव अन्य कारणों से गुम होने पर चालक/परिचालक एंव निगम जिम्मेदार नहीं होगा । भविष्य में लाइसेंसी के लगेज पार्सल आदि हेतु यदि परिचालक ईटीआईएम से टिकिट जारी करने की व्यवस्था निगम द्वारा की जाती है तो निर्धारित राशि लाइसेंस फीस के अतिरिक्त देय होगी।

17 पार्सल व्यवसाय के संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था पार्सल ऐजेन्ट को स्वयं अपने स्तर से करनी होगी। यदि ऐजेन्सी पार्सल बुकिगं हेतु सब ऐजेन्ट रखेगा तो इनके द्वारा किये गये समस्त कार्य कलापों के लिए सोल ऐजेन्ट की ही पूर्ण जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व होगा ।

18. गन्तव्य स्थान पर पार्सल प्राप्त करने हेतु अधिकृत सोल लाईसेंसी के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने की दशा में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। किन्तु चालक/परिचालक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अधिकृत सोल लाईसेंसी के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने/सामान की सुपुदर्गी नहीं लेने पर संबधित बस स्टैण्ड के प्रभारी को उक्त सामान चालान सहित सम्भलावेगें प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त सामान 100/– रूपये प्रति पार्सल प्रति दिन शास्ति राशि वसूल कर अधिकृत सोल लाईसेंसी को दिया जावेगा ।

19. अनुबन्ध को निर्धारित अवधि से पूर्व समाप्त करने का अधिकार निगम को होगा लेकिन इस हेतु एक माह का नोटिस दिया जावेगा ।

20. लाईसेंस शुल्क के नियमित भुगतान हेतु एंवम् अनुबन्ध पत्र की शर्तो की पूर्ण पालना हेतु लाईसेंसी द्वारा अनुबन्ध के प्रारम्भ में 6 माह की लाईसेंस फीस के बराबर राष्ट्रीयकृत शिड्यूल बैंक की निगम के नाम से बैंक गारन्टी भी प्रस्तुत करनी होगी जो अनुबन्ध अवधि की समाप्ति के चार माह आगे तक प्रभावी होगी यह बैंक गारन्टी हस्ताक्षरित अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी। बैंक गारन्टी प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में अमानत राशि एंव सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी ।

21. लाईसेंसी द्वारा जमा करवायी गयी धरोहर राशि एंव सुरक्षा राशि में से निगम द्वारा किसी क्षतिपूति की वसूली की जाती है तो यह राशि निगम द्वारा जब्त की गयी तिथी से 15 दिवस के भीतर–भीतर पुनः जमा करवानी होगी अन्यथा लाईसेंस स्वतः ही निरस्त माना जावेगा ।

22. लाईसेंसी को योजना कियान्वित करने के लिए कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस अथवा कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक जो भी पहले हो तक की समय अवधि में छूट दी जावेगी ।

23. अनुबन्ध अवधि सर्व प्रथम तीन वर्ष की होगी लाईसेंसी को प्रथम वर्ष के व्यतीत होते ही द्वितीय वर्ष के लिए प्रथम वर्ष के प्रतिमाह देय लाईसेंस शुल्क की राशि पर 10 प्रतिशत चक्रवृत्ति दर से स्वतः वृद्वि कर एंव तृतीय वर्ष के लिए द्वितीय वर्ष की प्रतिमाह देय लाईसेंस राशि में 10 प्रतिशत स्वतः वृद्वि कर जमा करानी होगी । प्रत्येक वर्ष 10प्रतिशत चक्रवृद्वि दर से वर्तमान लाईसेंस फीस में वृद्वि के साथ अनुबन्ध आगे बढाया जावेगा ।

24. बसों में भेजे जाने वाले सामान पर केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र का बिक्री कर सेवा कर,टोल कर अथवा अन्य कोई भी कर देय होगें तो उसका भुगतान अधिकृत सोल लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस फीस के अतिरिक्त किया जावेगा ।

25. जिस दिन संबधित आगार द्वारा टायर,रिट्रेडिगं हेतु भेजे जावेगें अथवा जयपुर से नये टायर किसी आगार को भेजे जावेगें उस दिन उस बस में अधिकृत सोल लाईसेंसी द्वारा सामान नहीं भेजा जावेगा। इसके लिए निगम की कोई जवाबदेही नहीं होगा ।

26. सोल लाईसेंसी द्वारा निर्धारित लाईसेंस फीस का भुगतान प्रतिमाहनिर्धारित समय सीमा के 10 दिवस के अन्दर अग्रिम जरिये डी डी/बैंकर्स चैक /आर.टी.जी. एस. करना होगा निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं किये जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से राशि रूपये 1000/– शास्ति के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

27. अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लघंन किये जाने पर निगम को तुरन्त प्रभाव से अनुबन्ध समाप्त करने व अमानत एंव सुरक्षा राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा

28. पार्सल सामान्यतया बुकिगं के समय से 48 घन्टे के भीतर निर्दिष्ट स्थानों पर पहुंचाई जावेगीओर जहां तक सम्भव होगा निगम समय बद्वता का पूरा ध्यान रखेगा लेकिन ऐसे किसी कारण से जिन पर निगम का नियंत्रण नहीं हो विलम्ब हो जाने पर निगम जिम्मेदार नहीं होगा । साथ ही निगम अदृष्य कारणों सेहोने वाली क्षति टूट–फूट, ईश्वरीय कारण , दुश्मन की कार्यवाही अथवा दोष जो प्रेषणकर्ता का रहा हो , ब्रेक डाउन ,दुर्घटना, तालाबन्दी , हडताल ,जनविद्रोह युद्व दंगे आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

29. निगम वाहनों द्वारा डाक विभाग की डाक ,निगम डाक एंव स्टेशनरी राज्य सरकार की डाक अथवा सामान एंवम् समाचार पत्र लाने व ले जाने का निगम को पूर्ण अधिकार रहेगा तथा सोल लाईसेंसी को यह कार्य करने का अधिकार नहीं होगा न ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा ।

30. निगम बसों से यात्रा के दौरान यात्री के साथ निजी/घरेलू सामान का परिचालक द्वारा पूर्वानुसार लगेज टिकिट जारीकिया जावेगा इस सामान को पार्सल सेवा में शामिल नहीं किया जावेगा

31. सोल लाईसेंसी को पार्सलसेवा योजना अनुबन्ध अवधि पूर्व समाप्त करने के लिए छः माह पूर्व सूचना देनी होगी । छः माह पूर्व सूचना नहीं देने की स्थिति में इस राशि के बराबर क्षतिपूर्ति देय होगी ।

32. पार्सल बुकिगं व डिलीवरी हेतु रिक्शा,ठेला ,को पार्सल स्थल तक आने की अनुमति संबधित आगार के मुख्य प्रबन्धक /स्थान प्रभारी द्वारा दी जायेगी

33. अनुबंध कियान्वयन शर्तों एंव अनुबन्ध की विवेचना के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए प्रथम पक्ष द्वारा गठित स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय पारित हुए बिना वाद किसी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते है कि प्रथम पक्ष की स्टैंडिंग कमेटी ही उत्पन्न विवाद का निपटारा/निर्णय करेगी एवं इसके लिए दोनों पक्ष सहमति व्यक्त करते है। न्यायालय का कार्यस्थल क्षेत्र जयपुर होगा।

34. अधिकृत सोल लाईसेंसी उक्त शर्तों के अतिरिक्तनिगम द्वारा समय पर जारी दिशा–निर्देशों की भी पूर्ण पालना करेगा ।

35. निविदादाता/कम्पनी/संस्था को किसी भी परिवहन निगम में पार्सल कोरियर सेवा करने का 2 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है निविदादाता को अपने संस्थान का रजिस्ट्रेशन नम्बर का प्रमाणपत्र, गत 02 वर्षों की बेलेंस–शीट,आयकर रिटर्न और अनुभव का प्रमाणपत्र तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ सलग्न करना आवश्यक होगा । निविदादाता द्वारा उक्त पूर्ण दस्तावेज तकनीकी निविदा प्रस्ताव के साथ सलग्न नहीं करने की स्थिति में उसके निविदा प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

36. जिस संस्था के प्रस्ताव को निगम द्वारा स्वीकार किया जावेगा उसे निगम के साथ स्वयं के खर्च पर उक्तानुसार 15 दिवस के भीतर भीतर अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित करना होगा। जिसका प्रारूप निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा जो लगभग इन्ही शर्तों के अनुरूप होगा ।

37. संलग्न घोषणा पत्र को भरकर उस पर हस्ताक्षर करके निविदा प्रस्तावों के साथ संलग्न करें ।

38. किसी भी निविदा प्रस्ताव एंव बिना कारण बताये सभी निविदा प्रस्तावों को अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा ।

39. निविदादाता द्वारा दिया गया कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

40 यदि किसी संस्थान/व्यक्ति/फर्म केविरूद्व निगम की राशि बकाया/विचाराधीन एंव न्यायालय आदि में विवाद है तो उसके प्रस्ताव अस्वीकार करने का निगम को अधिकार होगा ।

41. निविदा प्रस्ताव ई–टैण्डरिंग के माध्यम से प्रेषित करने होंगे।

मेनै उक्त सभी शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ/समझ लिया है तथा उक्तसभी शर्तें मुझे स्वीकार है ।

हस्ताक्षर

मय रबर मोहर निविदादाता

# राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर
## निगम की बसों के माध्यम से लघु पार्सल सेवा संचालन हेतु ई–तकनीकी निविदा प्रपत्र

### ई– तकनीकी निविदा – प्रपत्र

( यह प्रपत्र अहस्तान्तरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया जावे उसी के प्रयोजनार्थ है।)
निविदा प्रपत्र संख्याः–एफ–167–II / मु0 / वि0 / 19 / 58 दिनांकः–28.01.19

निविदा प्रपत्र की राशि जमा रूपयें 400 / –
( अक्षरेः– चार सौ रूपयें)

डी.डी. सं0––––––––दिनांक––––––––

1. फर्म / व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता ––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

2. टेलीफोन नम्बर / मो0 ––––––––––––––––––––––––––

कार्यालय– ––––––––––––––––––––––––––

निवास ––––––––––––––––––––––––––

3. टेलेक्स नं0 ––––––––––––––––––––––––––

4. धरोहर राशी :– रूपयें–––––––––– अक्षरें ––––––––––

5. ड्राफ्ट / बैंकर्स चैंक संख्या व दिनांक ––––––––––––––––––––––––––

6. फर्म / कम्पनी का नाम व पूरा पता एवं रजिस्ट्रेशन नं.––––––––––––––––––

7. बैक का नाम,खाता संख्या,ब्रांच,आई.एफ.एस.सी संख्या ––––––––––––––––––––
8. निविदा दाता की चल / अचल संपत्ति का विवरण सत्य प्रति सहित संलग्न करे।
9. निविदा प्रपत्र के अनुसार संलग्न दस्तावेजों की संख्या एवं विवरण।

पूरा नामः–
हैसियतः– मालिक / पार्टनर
पूर्ण पताः–

# राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर
## निगम की बसों के माध्यम से लघु पार्सल सेवा संचालन हेतु ई–वित्तीय निविदा प्रपत्र

### ई–वित्तीय निविदा – प्रपत्र

( यह प्रपत्र अहस्तान्तरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया जावे उसी के प्रयोजनार्थ है।)
निविदा प्रपत्र संख्याः–एफ167–II/मु0/वि0/19/58 दिनांकः–28.01.19

निविदा प्रपत्र की राशि जमा रूपयें 400/–
( अक्षरेः– चार सौ रूपयें)

डी.डी. सं0––––––––दिनांक––––––––

1. फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता ––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

2. टेलीफोन नम्बर/मो0 ––––––––––––––––––––––––––

कार्यालय– ––––––––––––––––––––––––––

निवास ––––––––––––––––––––––––––

3. टेलेक्स नं0 ––––––––––––––––––––––––––

5. धरोहर राशी :– रूपयें–––––––––– अक्षरें ––––––––––

5. ड्राफ्ट/बैंकर्स चैंक संख्या व दिनांक ––––––––––––––––––––––––––

6. देय लाईसेन्स राशि रूपये प्रतिमाह रूपये––––––––––––––––––––––––––

(अक्षरे)––––––––––––––––––––––

7. फर्म/कम्पनी का नाम व पूरा पता एवं रजिस्ट्रेशन नं.––––––––––––––––––

8. बैक का नाम,खाता संख्या,ब्रांच,आई.एफ.एस. सी संख्या ––––––––––––––––––
9. निविदा दाता की चल/अचल संपत्ति का विवरण सत्य प्रति सहित संलग्न करे।

पूरा नामः–
हैसियतः– मालिक/पार्टनर
पूर्ण पताः–

# <u>घोषणा–पत्र</u>

**<u>निविदादाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर डीजीटल हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है।</u>**

1 मैं/हम डी.डी./बैंकर्स चैक नम्बर ————————————— दिनांक—————————राशि रूपयें ————————————— अक्षरें————————————————————————जो कि वित्तीय सलाहकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नाम देय है संलग्न कर रहे है/कर दिया है।

2 मैं/हमने निगम की समस्त शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तो की पालना का वचन देता हूॅ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/ हम निगम के साथ दिये गये प्रारूप आधार पर अनुबन्ध–पत्र पर हस्ताक्षर कर दूॅगा / देगें ।

3 मैं/हम घोषणा करता/करते हैं/हूॅ कि मैने/हमने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये है उसमें किसी अन्य संस्था को कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की तरफ से नहीं दिये गये है।

4 मैं/हम वचन देता/देते है कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव चार माह की अवधि तक लागू रहेगा।

दिनांकः–

हस्ताक्षर–निविदादाता
मय पद/हैसियत व मोहर सहित

निगम के विभिन्न बस स्टैण्डों पर लघु पार्सल सेवा संचालन हेतु उपलब्ध स्थान एवं क्षेत्रफल(वर्ग फिट में) का विवरणः–

| क्रमांक | स्थान का नाम | श्रेणी | क्षेत्रफल(वर्ग फिट में) |
|---|---|---|---|
| 1 | आबूरोड | BS | 150 |
| 2 | आहोर | BS | 150 |
| 3 | अनूपगढ | BS | 150 |
| 4 | अलवर | BS | 200 |
| 5 | बर | BS | 100 |
| 6 | बांसवाडा | BS | 200 |
| 7 | बांरा | BS | 200 |
| 8 | बीदासर | BS | 100 |
| 9 | बडोदा मेव | BS | 100 |
| 10 | व्यावर | BS | 150 |
| 11 | भरतपुर | BS | 200 |
| 12 | भीलवाडा | BS | 400 |
| 13 | बीकानेर | BS | 300 |
| 14 | बूंदी | BS | 200 |
| 15 | बिलाडा | BS | 150 |
| 16 | सीबीएस जयपुर | BS | 400 |
| 17 | सीबीएस अजमेर | BS | 400 |
| 18 | चित्तौडगढ | BS | 200 |
| 19 | चाकसू | BS | 150 |
| 20 | चौहटन | BS | 100 |
| 21 | चुरू | BS | 200 |
| 22 | दांता | BS | 100 |
| 23 | दौसा | BS | 200 |
| 24 | देलवाडा | BS | 100 |
| 25 | देवली | BS | 150 |
| 26 | धौलपुर | BS | 200 |
| 27 | दूदू | BS | 150 |
| 28 | डूंगरपुर | BS | 200 |
| 29 | फालना | BS | 100 |
| 30 | गंगानगर | BS | 200 |
| 31 | घाटगेट जयपुर | BS | 100 |
| 32 | झालावाड | BS | 200 |
| 33 | झुन्झुनु | BS | 200 |
| 34 | जैतारण | BS | 150 |
| 35 | जोधपुर | BS | 300 |
| 36 | करौली | BS | 200 |
| 37 | केकडी | BS | 150 |
| 38 | खाजुवाला | BS | 100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39 | खेतडी | BS | 150 |
| 40 | किशनगढ | BS | 150 |
| 41 | कोटा | BS | 200 |
| 42 | लोसल | BS | 100 |
| 43 | मेडतासिटी | BS | 150 |
| 44 | महुआ | BS | 150 |
| 45 | माउण्ट आबू | BS | 100 |
| 46 | नागौर | BS | 200 |
| 47 | नसीराबाद | BS | 150 |
| 48 | नीमकाथाना | BS | 150 |
| 49 | निमाज | BS | 100 |
| 50 | निवाई | BS | 150 |
| 51 | पाली | BS | 200 |
| 52 | पडिहारा | BS | 100 |
| 53 | फलौदी | BS | 100 |
| 54 | रतनपुर | BS | 100 |
| 55 | रायपुर | BS | 150 |
| 56 | सिमलवाडा | BS | 150 |
| 57 | सागवाडा | BS | 150 |
| 58 | सरदारशहर | BS | 150 |
| 59 | सवाईमाधोपुर | BS | 200 |
| 60 | शाहपुरा | BS | 150 |
| 61 | शिवगंज | BS | 150 |
| 62 | सांडेराव | BS | 100 |
| 63 | श्रीडूंगरगढ | BS | 150 |
| 64 | सीकर | BS | 200 |
| 65 | सिरोही | BS | 200 |
| 66 | सिरोही रोड | BS | 100 |
| 67 | टोंक | BS | 200 |
| 68 | उदयपुर | BS | 300 |

# प्रारूप लाइसेंस अनुबंध पत्र

यह लाइसेंस अनुबंध पत्र आज दिनांक.....2018 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन मार्ग, जयपुर जिसे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा एवं..... ..... जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसे आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा के बीच निम्न शर्तों के आधार पर निष्पादित किया जाता है:—

1. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष (निगम) ने अपने समस्त आगारों के माध्यम से राजस्थान राज्य के राष्ट्रीयकृत मार्गों एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित बसों की छत पर जिन बसों की छत पर केरियर लगे हुए है पर उपलब्ध स्थान के आधे (50 प्रतिशत) स्थान पर सामान्य वस्तुओं/लघु व्यापारिक सामान एवं अन्य घरेलू सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित सम्भावित न्यूनतम समय पर सामान का परिवहन करने हेतु लाइसेंसी नियुक्त किया गया है। प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को निगम बसों की छत पर आवंटित उक्त स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर पार्सल रखने की अनुमति/अधिकार नहीं होगा।
2. यह कि पार्सलों के रखने हेतु बसों की छत का 50 प्रतिशत तक स्थान पार्सल रखे जाने हेतु द्वितीय पक्ष के लिए आरक्षित तथा आधे स्थान पर निगम के यात्रियों का सामान रखने हेतु रहेगा । एक समय पर एक बस में कुल 500 किलोग्राम से अधिक वजन के पार्सल नहीं रख सकेगा तथा वही पार्सल स्वीकार योग्य होंगे, जिनका माप प्रति पार्सल 36 X 20 X 20(घन इंच) एवं वजन सुविधाजनक होगा। सुविधा वाहनों की छत पर केरियर नहीं होने के कारण सुविधा वाहनों की डिक्की में 50 किलो वजन तक के केवल छोटे पार्सल/डाक परिवहन की जा सकेगी । द्वितीय पक्ष को बसों के अन्दर लघु पार्सल/व्यापारिक / घरेलू सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। जिन बसों में लगेज केरियर नहीं है तथा दो डिक्की है उनमें से एक डिक्की पार्सल परिवहन हेतु आरक्षित रखी जा सकेगी । द्वितीय पक्ष स्वीकार करता है कि वह बसों के उक्त निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर पार्सल नहीं रखेगा।
3. पार्सल के रखरखाव के लिए प्रथम पक्ष अपने स्वामित्व के बस स्टैण्डों पर अधिकृत सोल लाइसेंसी, द्वितीय पक्ष को खुला स्थल (ओपन स्पेस) का स्थान निगम परिसर में प्राथमिकता के आधार पर आवंटित करेगा। खुले स्थल पर द्वितीय पक्ष को पार्सल ऑफिस का शेड (टिन/फायबर शीट) को स्वयं के खर्च से बनाना होगा। खुला स्थान ( ओपन स्पेस) की दर जयपुर हेतु 50 रू. प्रति स्क्वा0 फीट, जिला स्तर के बस स्टैण्डों पर 30/—रू. प्रतिस्क्वा. फीट एवं अन्य बस स्टैण्डों पर 20/—रू. प्रतिस्क्वा. फीट प्रतिमाह के अनुसार आगार कमेटी खुले स्थल का आवटन करेगी। नियमानुसार नया विद्युत मीटर/सर्विस मीटर लगाने के बाद विद्युत खर्च अतिरिक्त देय होगा । स्थल की लाइसंस फीस एवं बिजली उपभोग की राशि संबंधित मुख्य प्रबन्धक कार्यालय में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिमाह जमा कराई जावेगी।
4. यह कि प्रथम पक्ष यह स्वीकार करता है कि इस अनुबंध की अवधि में द्वितीय पक्ष जब चाहे उपलब्ध कराई गई वाहनों से अपने खर्चे पर उक्त साइज के पार्सल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकेगा किन्तु वाहनों के संचालन एवं निगम व्यवसाय मे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। द्वितीय पक्ष निगम की सवारियों एवं टिकट वितरण में व्यवधान नहीं डालेगा तथा न ही सवारियों से सम्पर्क करेगा।
5. यह कि अनुबंध तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा जो कि दिनांक ..... से प्रारंभ होकर दिनांक ..... तक के लिए होगा। अनुबंध की अवधि एक वर्ष के व्यतीत होने पर द्वितीय पक्ष के कार्यकलापो को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर

से वर्तमान देय लाइसेंस फीस में वृद्धि करते हुए अनुबंध शेष दो वर्षों तक रखा जावेगा। उक्तानुसार प्रथम वर्ष में लाइसेंस फीस .....नियमानुसार सेवा कर/जी एस टी (यदि लागू हो तो) अतिरिक्त लाइसेंस फीस प्रतिमाह रू.....द्वितीय वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ प्रतिमाह लाइसेंस फीस.....एवं सेवाकर/जी एस टी अतिरिक्त एवं तृतीय वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ प्रतिमाह लाइसेंस फीस रू.....एवं सेवाकर/जी एस टी अतिरिक्त देय होगा जो कि अग्रिम जरिये डी.डी/ बैंकर्स चैक/आरटीजीएस के द्वारा निर्धारित समय पर जमा करानी होगी। निगम का आर टी जी एस विवरण निम्नानुसार हैः–

| | |
|---|---|
| Beneficiary | R.S.R.T.C |
| Account No | 677405000011 |
| Beneficiary bank | ICICI Bank Ltd |
| Beneficiary branch | Parivahan Marg, Jaipur-302001 |
| Beneficiary RTGS Code | ICIC 0006774 |
| Amount to be remitted | |

6. यह कि इस योजना के अन्तर्गत पार्सल बुक करने से लेकर निगम के निर्धारित वाहनों से गन्तव्य तक पहुंचाने में हुए विलम्ब ,क्षति अथवा गुम हो जाने या अन्य किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से पार्सल को हुई क्षति आदि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी /उत्तर दायित्व द्वितीय पक्ष (लाइसेंसी) का होगा।
7. सरकार द्वारा नियंत्रित/प्रतिबंधित वस्तुओं जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, मादक पदार्थ, तरल पदार्थ एवं अति ज्वलनशील पदार्थ आदि के पार्सल परिवहन नहीं किये जा सकेंगे तथा द्वितीय पक्ष द्वारा पार्सल भेजे जाते समय यह भी प्रमाण पत्र देना होगा कि पार्सल के अन्दर कोई ज्वलनशील पदार्थ, अवैधानिक व आपत्तिजनक वस्तुए पार्सल नहीं की जा रही है । इस प्रकार की कोई घोषणा असत्य पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही होने पर द्वितीय पक्ष ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी परिस्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा।
8. पार्सलों की बुकिंग, वितरण , बसों में पार्सलों की चढाई, उतराई आदि का समस्त कार्य द्वितीय पक्ष के द्वारा ही किया जावेगा तथा इस पर होने वाले समस्त खर्चे का वहन भी उनके द्वारा ही किया जावेगा।
9. द्वितीय पक्ष, सामान की बुकिंग ''एट ऑनर रिस्क'' पर ही बुक करेगा। यदि किसी भी प्राकृतिक आपदा, आगजनी, तोडफोड, लूटपाट, कर्फ्यू, हडताल, बस दुर्घटना एवं अन्य कारणों से पार्सल क्षतिग्रस्त हो जाता है या गुम हो जाता है या विलम्ब से पहुंचता है तो प्रथम पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा अर्थात प्रथम पक्ष (निगम) किसी प्रकार के जोखिम, दावा या क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और न ही किसी विधि विवाद हेतु जवाबदार होगा यदि प्रथम पक्ष पर किसी प्रकार का दायित्व आयेगा तो उसका वहन द्वितीय पक्ष के द्वारा ही किया जावेगा।
10. यह कि उक्त अनुबंध अथवा सेवा के संबंध में किसी भी प्रकार के कर, जी एस टी टोल टैक्स एवं चुंगी आदि के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष(लाइसेंसी) की होगी।
11. पार्सल के रखरखाव के लिए प्रथम पक्ष अपने स्वामित्व के बस स्टैण्डों पर द्वितीय पक्ष को खुला स्थल निगम परिसर में प्राथमिकता के आधार पर संलग्न सूची के अनुसार उपलब्ध करायेगा। खुले स्थल पर द्वितीय पक्ष को पार्सल आफिस का शेड स्वयं के खर्चे से बनाना होगा। आवंटित स्थल पर नियमानुसार प्रथम पक्ष द्वारा विद्युत उपलब्ध करवाई जावेगी। जिसके लिए द्वितीय पक्ष को विद्युत मीटर अपने खर्चे पर लगाना होगा तथा विद्युत खर्च

लाइसेंस फीस के अतिरिक्त संबंधित मुख्य प्रबन्धक कार्यालय में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिमाह जमा कराया जावेगा।

12. पार्सलों की टूट–फूट, चोरी एवं गुम होने आदि के संबंध में यदि द्वितीय पक्ष स्वयं के खर्चे से बीमा करवाना चाहे तो करवा सकता है। यदि द्वितीय पक्ष बीमा नहीं कराता है तो सामान की समस्त क्षतिपूर्ति के लिए द्वितीय पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा। निगम किसी भी मामले में उत्तरदायी नहीं होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा संबंधित चालक/परिचालक को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5/– रूपये प्रति चालान दिया जावेगा जो कि मासिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त होगी उक्त राशि के आधार पर प्रथम पक्ष उपभोक्ता सेवा प्रदान करने के लिए उत्त्रदायी नहीं होगा यदि किसी भी कारण से प्रथम पक्ष पर दायित्व आता है तो उसका वहन एवं पुनर्भरण द्वितीय पक्ष द्वारा किया जावेगा।
14. द्वितीय पक्ष भेजे जाने वाले सामान का चालान तीन प्रतियों में तैयार करेगा। जिसकी एक प्रति चालक/परिचालक को दी जाकर हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। लेकिन चालक/परिचालक के हस्ताक्षर के आधार पर पार्सल प्राकृतिक आपदा, आगजनी, तोडफोड, मारपीट, कर्फ्यू, हडताल, बस दुर्घटना एवं अन्य कारणों से गुम हो जाने पर चालक/परिचालक एवं प्रथम पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा। यदि लाइसेंसी के लगेज पार्सल आदि हेतु परिचालक इ टी आई एम से टिकिट जारी किये जाने की व्यवस्था निगम द्वारा की जाती है तो निर्धारित राशि लाईसेंस फीस के अतिरिक्त देय होगी।
15. पार्सल व्यवसाय के संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को स्वयं अपने स्तर से करनी होगी। यदि द्वितीय पक्ष पार्सल बुकिंग हेतु सब एजेन्ट रखेगा तो इनके द्वारा किये गये समस्त कार्य कलापों के लिए द्वितीय पक्ष की ही पूर्ण जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व होगा।
16. गन्तव्य स्थान पर पार्सल प्राप्त करने आदि का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। द्वितीय पक्ष के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में प्रथम पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। किन्तु संबंधित चालक/परिचालक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह द्वितीय पक्ष के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने/सामान की सुपुर्दगी नहीं लेने पर संबंधित बस स्टैण्ड के प्रभारी को उक्त पार्सल/सामान चालान सहित सम्भलावेगा। प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त सामान प्रति दिवस रूपये 100/– प्रति पार्सल शास्ति राशि वसूल कर पार्सल/डाक द्वितीय पक्ष को दिया जावेगा तथा रसीद प्राप्त करेगा।
17. अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर अनुबंध को निर्धारित अवधि से पूर्व समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा लेकिन इस हेतु एक माह का नोटिस प्रथम पक्ष द्वारा दिया जावेगा।
18. द्वितीय पक्ष द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि एवं सुरक्षा राशि तथा सुरक्षा राशि में से प्रथम पक्ष द्वारा किसी क्षतिपूर्ति की वसूली की जाती है तो उक्त राशि प्रथम पक्ष (निगम) द्वारा जब्त की गई तिथी से 15 दिवस में द्वितीय पक्ष को पुनः जमा करवानी होगी अन्यथा लाइसेंस स्वतः निरस्त माना जावेगा।
19. जिस दिन संबंधित आगार द्वारा टायर रिट्रेडिंग हेतु भेजे जावेगें अथवा जयपुर से नए टायर किसी आगार को भेजे जावेंगे उस दिन उस बस में द्वितीय पक्ष द्वारा सामान नहीं भेजा जावेगा इसके लिए प्रथम पक्ष की कोई जवाबदेही नहीं होगी।
20. द्वितीय पक्ष योजना क्रियान्विति करने के लिए कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस अथवा कार्य आरम्भ करने की दिनांक दोनों में जो भी पहले हो से लाइसेंस फीस देय होगी।
21. द्वितीय पक्ष द्वारा किये जा रहे व्यवसाय पर वर्तमान एवं भविष्य में यदि सरकार द्वारा कोई कर आदि का निर्धारण किया जाता है तो वह द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा।

स्थानीय स्वायत्तशाषी संस्थाओं अथवा सरकार द्वारा कोरियर एवं पार्सल सेवा पर प्रदाय किये जाने वाले जीएसटी आदि जमा कराने की जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी । करवंचना के किसी भी मामले में निगम पार्टी नहीं होगा तथा किसी प्रकार के कर/प्रभार/शुल्क शास्ति आरोपित होने की दशा में समस्त दायित्व लाइसेंसी का होगा। इस राशि का धरोहर राशि में से इसका भुगतान कर दिया जावेगा जिसका पुनर्भरण लाइसेंसी द्वारा 15 दिवस के भीतर–भीतर करना होगा।

22. द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित लाइसेंस फीस प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से जमा करवानी होगी। अन्यथा निर्धरित दिनांक को भुगतान नहीं किये जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से राशि रूपये 1000/– शास्ति राशि के रूप मं अतिरिक्त भुगतान करनी होगी। यदि फर्म द्वारा
    लाइसेंस फीस निर्धारित तिथि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा नहीं करवायी जाती है तो शास्ति राशि की वसूली की गणना प्रत्येक माह की एक तारीख से की जावेगी।
23. अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर प्रथम पक्ष को अनुबंध समाप्त करने व धरोहर एवं सुरक्षा राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
24. द्वितीय पक्ष द्वारा निविदा प्रस्तावों के साथ संलग्न दस्तावेज में इरादतन तथ्य छुपाये गये अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत किया जाना पाया गया तो प्रथम पक्ष द्वारा उसकी धरोहर/सुरक्षा राशि / बैंक गारन्टी जब्त करते हुए उसका अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा तथा न्यायिक कार्यवाही भी अमल में लाई जा सकेगी। जिसके लिए द्वितीय पक्ष स्वयं उत्तरदायी होगा।
25. पार्सल बुकिंग व डिलीवरी हेतु रिक्शा ठेला बुकिंग कार्यालय स्थल (बस स्टेण्ड के अन्दर) तक आने की अनुमति संबंधित मुख्य प्रबन्धक/प्रभारी अधिकारी द्वारा दी जावेगी।

26. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा निगम कोष में धरोहर राशि आई सी आई सी आई बैंक ड्राफ्ट संख्या .....दिनांक ..... राशि रू. कुल ..... (.....) एवं तीन माह की लाइसेंस फीस के बराबर सुरक्षा राशि ..... दिनांक ..... के माध्यम से निगम कोष में दिनांक .....को जमा करा दी गई है एवं छः माह की लाइसेंस फीस के बराबर राशि की ..... दिनांक ..... राशि रू. ..... जिसकी वैध अवधि ..... तक है । उक्त जमा राशि पर कोई ब्याज द्वितीय पक्ष को देय नहीं होगा। इस राशि में से प्रथम पक्ष को हुई हानि/अनुबंध की शर्तों की पालना नहीं किये जाने पर जमा सम्पूर्ण राशि/बैंक गारण्टी प्रथम पक्ष को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
27. यह कि यदि प्रथम पक्ष की कोई वाहन दुर्घटना/यांत्रिक दोष के कारण संचालन से बाहर रहती है तो द्वितीय पक्ष को लाइसेंस शुल्क में कोई छूट नहीं दी जावेगी।
28. पार्सल सामान्यतः बुकिंग के समय से गाडी यात्रा समय के बाद 48 घण्टे के भीतर निर्दिष्ट स्थानों पर पहुंचाया जावेगा और जहां तक संभव होगा प्रथम पक्ष समय बद्धता का पूरा ध्यान रखेगा लेकिन ऐसे किसी कारण से जिन पर प्रथम पक्ष का नियंत्रण नही हो विलम्ब हो जाने पर प्रथम पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा साथ ही प्रथम पक्ष अदृश्य कारणों स होने वाली क्षति, टूट–फूट, ईश्वरीय कृत्य दुश्मन की कार्यवाही अथवा दोष जो प्रेषण कर्ता का रहा हो ब्रेक डाउन, दुर्घटना तालाबंदी हड़ताल जन विद्रोह युद्ध, दंगे आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
29. अनुबंध क्रियान्वयन शर्तों एंव अनुबन्ध की विवेचना के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो मामले के निपटारे के लिए प्रथम पक्ष द्वारा गठित स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय पारित हुए बिना वाद किसी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते है कि

प्रथम पक्ष द्वारा गठित स्टैंडिंग कमेटी ही उत्पन्न विवाद का निपटारा/निर्णय करेगी एवं इसके लिए दोनों पक्ष सहमति व्यक्त करते है।

30. विवादित स्थिति में न्यायालय का कार्यस्थल क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।
31. निगम वाहनों द्वारा डाक विभाग की डाक , निगम डाक एवं स्टेशनरी, राज्य सरकार की डाक अथवा सामान लाने व ले जाने का निगम को पूर्ण अधिकार रहेगा तथा द्वितीय पक्ष को यह कार्य करने का अधिकार नहीं होगा न ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा एवं नही इसके लिए द्वितीय पक्ष द्वारा मांग की जावेगी।
32. निगम बसों से यात्रा के दौरान यात्री के साथ निजी/घरेलू सामान का परिचालक द्वारा पूर्वानुसार लगेज टिकट जारी किया जावेगा इस सामान को पार्सल सेवा में शामिल नहीं किया जावेगा।
33. द्वितीय पक्ष को पार्सल सेवा योजना अनुबंध अवधि पूर्व समाप्त करने के लिए छः माह पूर्व सूचना देनी होगी। छः माह पूर्व सूचना नहीं देने की स्थिति में इस राशि के बराबर क्षतिपूर्ति देय होगी। तथा धरोहर राशि सुरक्षा राशि एंव बैंक गारण्टी जब्त कर ली जावेगी।
34. यह लाईसेंस अनुबंध तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात् एवं दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद/न्यायिक प्रकरण एवं विज्ञापन/लाईसेंस शुल्क बकाया न होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से उक्त अनुबंध के अनुसार अन्तिम वर्ष(तृतीय वर्ष) के देय लाइसेंस फीस में न्यूनतम बीस प्रतिशत की वृद्धि करते हुए अनुबंध 18 माह के लिए बढाया जा सकेगा। जिस पर निर्णय लेने के लिए निगम सदैव अधिकृत एवं स्वतंत्र रहेगा।
35. उपरोक्त शर्तों के अलावा निविदा पत्र मे दी गई शर्तो की पालना भी पूर्ण रूप से की जावेगी एंव निविदा की शर्तें भी इस अनुबन्ध का भाग होंगी।

अतः हम आज दिनांक .....को इस करार/अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करते है।

*स्थानः—जयपुर*

| *प्रथम पक्ष* | *द्वितीय पक्ष* |
|---|---|
| *गवाह 1* | गवाह 1 |
| गवाह 2 | गवाह 2 |